

मूल्यांकन सुधार हेतु विभिन्न आयोगों के सुझाव
(Recommendations of various Commissions regarding
Improvement in Evaluation)

मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिये विभिन्न आयोगों द्वारा दिये गये सुझाव अग्र प्रकार हैं—

(A) विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग

(University Education Commission) (1948-49)

आयोग ने परीक्षा सुधार सम्बन्धी निम्न सुझाव दिये—

1. शैक्षिक मापन तथा मूल्यांकन की वैज्ञानिक विधियों का विकास विश्वविद्यालय तथा शिक्षा मंत्रालय को करना चाहिये ।
2. शिक्षा मन्त्रालय में एक या दो ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति की जाये जो परीक्षा की वस्तुनिष्ठ प्रणाली का अनुभव रखते हों ।
3. प्रत्येक विश्वविद्यालय में पूर्ण कालीन परीक्षक मण्डल की व्यवस्था की जाये ।
4. उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं के लिये उपयुक्त मनोवैज्ञानिक तथा निष्पत्ति परीक्षणों का विकास किया जाये ।

198
5. अध्यापकों को दिन प्रतिदिन छात्रों की जाँच करने हेतु उपयुक्त वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का विकास करना चाहिये।

6. वार्षिक परीक्षा के परिणाम में छात्र द्वारा वर्ष भर में किये गये कक्षा कार्य का भी ध्यान रखा जाये। सम्पूर्ण अंकों के एक-तिहाई अंक वर्ष भर के कार्य के लिये निर्धारित कर देने चाहिये।

(B) माध्यमिक शिक्षा आयोग

(Secondary Education Commission) (1952-53)

1. बाह्य परीक्षाओं तथा निबन्धात्मक प्रश्नों की संख्या यथा संभव कम कर देनी चाहिये।
2. विद्यालयों में छात्रों की सम्पूर्ण प्रगति का लेखा रखा जाये। इसके लिये उपयुक्त संचयी आलेख पत्र रखे जायें।
3. कक्षात्रति में आन्तरिक परीक्षाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाये।
4. मूल्यांकन में संख्यात्मक प्रणाली के स्थान पर श्रेणी प्रणाली (grade system) अपनाया चाहिये।
5. माध्यमिक पाठ्यक्रम के उपरान्त केवल एक ही अन्तिम बाह्य वार्षिक परीक्षा ली जाये।
6. पूरक परीक्षाओं की व्यवस्था की जाये।

सन् 1953 में माध्यमिक शिक्षा-पुनर्गठन समिति ने अपनी रिपोर्ट में परीक्षा हेतु निम्न सुझाव दिये—

1. बाह्य परीक्षा प्रणाली समाप्त करके उसके स्थान पर शिक्षक-मूल्यांकन प्रणाली प्रारम्भ की जाये।
2. वार्षिक मूल्यांकन छात्रों के वर्ष-भर के कार्यों के मूल्यांकन पर आधारित होना चाहिये।

1954 में इन्टरनेशनल टीम (International team) ने अपनी रिपोर्ट में परीक्षा सुधार हेतु निम्न सुझाव दिये—

1. बाह्य परीक्षाओं के दबाव को यथासंभव कम किया जाये।
2. निजी शिक्षण व्यवस्था को बन्द किया जाये।
3. परीक्षाओं के लिये मानदण्ड (Standard) निर्धारित किया जाये।

(C) कोठारी आयोग

(Kothari Commission) (1964-66)

1. लिखित परीक्षाओं के सुधार हेतु मूल्यांकन की नवीन विधियाँ अपनायी जायें जिससे परीक्षाओं में विश्वसनीयता तथा वैधता आ सके।
2. निम्न प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों में आधारभूत दक्षताओं तथा वांछनीय आदतों एवं अभिरुचियों का विकास करना होना चाहिये।
3. उच्च प्राथमिक स्तर पर लिखित परीक्षा के साथ ही साथ एक मौखिक परीक्षा भी होनी चाहिये। इस स्तर पर आन्तरिक मूल्यांकन की भी व्यवस्था होनी चाहिये।
4. संचयी आलेख पत्र (Cumulative Record Cards) की व्यवस्था की जाये। मूल्यांकन के समय इन पत्रों को उचित स्थान दिया जाना चाहिये।
5. प्राथमिक स्तर के अन्त में जिला स्तर पर एक सामान्य परीक्षा की व्यवस्था की जाये। इसमें प्रमाणीकृत (Standardized) परीक्षा की सहायता ली जाये।

6. प्राथमिक परीक्षा के पश्चात् एक प्रमाणपत्र दिये जाने की व्यवस्था हो ।
7. बाह्य परीक्षाओं को सुधारा जाये । इसके लिये आयोग ने निम्न सुझाव दिये हैं—
 - (a) वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की व्यवस्था की जाये ।
 - (b) परीक्षायें पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार हों ।
 - (c) अंक प्रदान विधि को वैज्ञानिक बनाया जाये ।
 - (d) परिणामों को यांत्रिक बनाया जाये ।
8. परीक्षोपरान्त प्रमाणपत्र देने की व्यवस्था हो । प्रमाणपत्र में बाह्य परीक्षा के विषयों का उल्लेख होना चाहिये ।
9. छात्र को अपनी श्रेणी (Division) सुधारने का अवसर प्रदान करना चाहिये ।
10. आन्तरिक मूल्यांकन का प्रमाणपत्र भी दिया जाना चाहिये । आन्तरिक मूल्यांकन हेतु आयोग ने अग्र सुझाव दिये—
 - (a) आन्तरिक मूल्यांकन उन तथ्यों का भी मापन करे जिनका मापन बाह्य परीक्षाओं द्वारा सम्भव नहीं है ।
 - (b) आन्तरिक मूल्यांकन हेतु अध्यापकों को उचित प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिये ।
 - (c) प्रमाण पत्र में आन्तरिक मूल्यांकन के परिणाम बाह्य परीक्षाओं के परिणामों से अलग दिखाने चाहिये ।
11. समय-समय पर आकस्मिक परीक्षण की व्यवस्था विद्यालयों को करनी चाहिये ।
12. कुछ विद्यालयों को बाह्य परीक्षा से मुक्त कर देना चाहिये तथा उन्हें अधिकार दे देना चाहिये कि वे अपने छात्रों का मूल्यांकन स्वयं करें ।

आयोग की सिफारिशों का अध्ययन करने हेतु कुछ संसद सदस्यों की एक समिति बनाई गई । इस समिति के सुझावों के आधार पर सरकार ने अपनी शिक्षा नीति की घोषणा की । इस घोषणा में कहा गया कि परीक्षा सुधार कार्यक्रमों का उद्देश्य परीक्षाओं की वैधता तथा विश्वास को बढ़ावा होना चाहिये ।

“A major goal of examination reform should be to improve reliability and validity of examinations and to make evaluation a continuous process aimed at helping the student to improve his level of achievement rather than certifying the quality of his performance at a given moment of time.”